न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : **श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0**

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 19/2019 (220/2011)

GCMS NO. : 2011/00001

–:: प्रार्थीया ::–

1. सरजू पत्नी जेठाराम
कौम– हरिजन मेहतर साकिन
टुंकड़ा, तहसील–जैतारण,
जिला–पाली राज.।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. रामाकिशन पुत्र मूलाराम
2. दुर्गाराम पुत्र मूलाराम
3. दीनाराम पुत्र मूलाराम
4. महेन्द्र पुत्र मूलाराम
5. डूंगरराम पुत्र मूलाराम
6. दिलीप पुत्र मूलाराम
7. कमला पत्नी मूलाराम
8. सुशीला पुत्री मूलाराम
9. सुरमा पुत्र मूलाराम
जातियान– मेहतर, साकिन टुंकड़ा,
तहसील–जैतारण, जिला–पाली राज.।
10. ओमप्रकाश वारसे पुत्र बंशीराम
11. विजय राज वारसे पुत्र बंशीराम
जाति– मेहतर, मकान नम्बर–
2692/2 यादव मौहल्ला– मऊ,
म0प्रदेश।
12. रूकमाई पत्नी केसाराम
जाति– मेहतर, मकान नम्बर–
2692/2 यादव मौहल्ला– मऊ,
म0प्रदेश।
13. हरीराम पुत्र मिसरू राम
कौम– हरिजन मेहतर साकिन टुंकड़ा,
तहसील–जैतारण, जिला–पाली राज.।
14. पूनम पत्नी गणपत
15. बींजाराम पुत्र गणपत
जाति– मेहतर, मकान नम्बर–
2692/2 यादव मौहल्ला– मऊ,
म0प्रदेश।
16. तहसीलदार, जैतारण(लैण्ड होल्डर)।
17. उपपंजीयन अधिकारी जैतारण।
18. पटवारी, पटवार हल्का टुंकड़ा।
19. ग्राम पंचा[illegible]रिये सरपंच।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.26 17:34:38 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

तारीख रजूः 23/09/2019

उपस्थितः. 1. श्री हरिओम पारिक, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री राजूनाथ, श्रीमती संगीता व्यास, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः 31/03/2021**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा टूंकड़ा पटवार हल्का भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास (हाल भू.नि. क्षेत्र–बलाडा) के खसरा नम्बर 278 रकबा 05–09 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 509/216 रकबा 06–15 बिस्वाा किस्म बारानी दोयम, कुल रकबा 12–04 बीघा व खसरा नम्बर 509/216 रकबा 02–15 बीघा किस्म बारानी दोयम की कृषि आराजी आई हुई है। जिसमें सायला के पति का नाम वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 278 व 509/216 में से है। चुंकि सायला के पति का देहान्त भी हो चुका है। अतः उसके वारिसान का नाम वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक है। उक्त कृषि आराजी के जो प्रार्थन पत्र के पद संख्या एक में स्थित है व पुश्तैनी कृषि आराजी है और सायला की संयुक्त एवं अविभाजित हिन्दू पुश्तैनी कृषि आराजी सायला एवं गैरसायलान का संयुक्त हिस्सा शामिल है। उक्त कृषि आराजी में सायला का 1/6 हिस्सा एवं गैरसायल संख्या 1 से 9 का 1/6 हिस्सा, गैरसायल संख्या 10 व 11 का 1/6 हिस्सा, गैरसायल संख्या 12 का का 1/6 हिस्सा, गैरसायल संख्या 13 का 1/6 हिस्सा, व गैरसायल संख्या 14 व 15 का 1/6 हिस्सा, आता है। राजस्व नक्शे में सायला व गैरसायलान की कोई तरमीम की हुई नहीं है और न ही मौके पर नेखममंदी की हुई है। सायला के ससुर मिसरू पुत्र हमीरा की मृत्यु होनें के पश्चात् ग्राम पंचायत टूंकड़ा के सरपंच ने दिनांक 23.07.1980 को नामान्तकरण संख्या 224 सिर्फ केवल एक वारिसान मूला के नाम उक्त कृषि आराजी खसरा नम्बर 278 व 509/216 कर दी। जबकि सभी वारिसान की संयुक्त आराजी है। पटवार हल्का टूंकड़ा द्वारा जो नामान्तरण संख्या 224 सरपंच द्वारा दिनांक 23.07.1980 जो नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। वह गलत है और गैर कानूनी है। हिन्दू उत्तराधिकार के अधिनियम के खिलाफ है और काबिज मनसुख हैं उक्त नामान्तकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 08.12.2011 को पटवार हल्का, टूंकड़ा के पटवारी से प्राप्त करनें पर प्रार्थना पत्र ग्राम टूंकड़ा में पैदा हुआ जो अन्दर म्याद है। खसरा संख्या 278 व 509/216 रकबा क्रमशः 05–09 बीघा, 06–15 बीघा किस्म बारानी दोयम का सायला को खातेदार काश्तकार घोषि[illegible] में उक्त कृषि आराजी सायला के हिस्से अनुसार अमल दराम[illegible]। पैरा संख्या एक में वर्णित कृषि सम्पूर्ण आराजी में सायला का 1/6 [illegible] की खातेदार काश्तकार हिस्से के अनुसार दर्ज किया [illegible] को पैरा संख्या तीन में वर्णित हिस्से अनुसार काश्तकार घोषित [illegible]या जावें। सायला का आधुनिक तरीके से स्वयं की खातेदारी कृषि आराजी में अच्छी मिट्टी उर्वरक डाल कर उन्नत फसल प्राप्त करना चाहती है। अतः सायला में अपने सहखातेदारों से बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करने को कहां तो गैरसायलान् ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.26 17:34:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

दिनांक 08.12.2011 को कृषि भूमि विभाजन करनें से मना कर दिया और सायला को गैरसायलान ने ऐलानिया धमकी दी कि यह बेशकिमती कर देगें और उक्त फिकरा संख्या एक में वर्णित आराजी का विक्रय कर देगें। इसलिये अस्थाई निषेधाज्ञा से गैरसायलान को रोका जाना आवश्यक है। पैरा संख्या एक में वर्णित कृषि आराजी में सायला का ही कब्जा काश्त है और शान्तिपूर्वक इसका उपयोग एवं उपभोग करती आ रही है तथा प्रथम दृष्टिया मामला भी सायला के पक्ष में बखूबी साबित है क्योंकि सायला का मौके पर कब्जा है तथा मौके पर फैसल बोई हुई है तथा सुविधा का सन्तुलन भी सूरत में सायला के पक्ष में है, क्योंकि उसमें वर्तमान में अपनी फसल काटनी यदि सायला को इस बेशकिमती कृषि आराजी का बिना विभाजन के हस्तान्तरण कर दिया गया तो सायला को असीम क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं होगी। यदि सायला को उक्त कृषि अराजी से गैरसायलान द्वारा हस्तानान्तरण कर दिया गया व बेदखल कर दिया गया तो सायला को असीम हानि होगी। इसलिये उक्त गैरसायलानको सायला की कब्जे काश्त की आराजी में दखलंदाजी व दस्दांजी करने से रोका जावें। व दावे के निर्णय के तक सायला अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया जाने एवं उप पंजीयन अधिकारी को उक्त पैरा संख्या 01 में वर्णित कृषि अराजी का अन्य हस्तानान्तरण का पंजीयन करने से रोके जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थनां पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायलान संख्या 5,6,12,15 से 19 को बार बार आवाजें दिलाई गई, बावजूद सम्मन सूचना तामिल के अनु0 रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। गैरसायलन संख्या 10 एवं 11 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ जो सा0मि0 है। गैरसायलान ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 का जबाब है कि इस पद में वर्णित तमाम तथ्य सही होनें से स्वीकार है। गैरसायलान के पिता बंशीराम का देहान्त हो चुका है तथा उनके वारिसान ओमप्रकाश, विजयप्रकाश का नाम वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाना उचित है अतः कृषि आराजी में गैरसायलान ओमप्रकाश, विजयप्रकाश का कब्जा काश्त की भूमि में उपयोग उपभोग कर रहे हैं। पद संख्या 02 का जबाब है कि इस पद में वर्णित तथ्य व सजरा खानदान की वंश वृक्षावली सही होने से स्वीकार है। पद संख्या 03 का जबाब है कि इस पद में गैरसायलान संयुक्त रूप से 1/6 वॉ हिस्सा दर्शाया है व सही है 3 हिस्से में गैरसायलान का शांतिपूर्वक कब्जा काश्त है। पद संख्या 04 का जबाब है कि इस पद में वर्णित तथ्य सही होने से स्वीकार है। पद संख्या 05 का जबाब है कि इस पद में वर्णित तथ्य खसरा नम्बरान की भूमि में गैरसायलान ओमप्रकाश, विजयप्रकाश को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में उक्त कृषि आराजी हिस्से अनुसार अमल दराम किया जावे। पद संख्या 06 का जबाब है कि इस पद में वर्णित तमाम तथ्य सही होने से स्वीकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seehver
Date: 2021.10.26 17:34:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

पद संख्या 07 का जबाब है कि इस पद में वर्णित तथ्यों की जानकारी गैरसायलान को नहीं होने से अस्वीकार है। पद संख्या 08 का जबाब है कि इस पद में वर्णित तथ्य सही होने से स्वीकार है प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि आराजी में सायला व गैरसायलान संख्या 10 व 11 को इस कृषि आराजी बिना विभाजन के हस्तानान्तरण कर दिया गया तो सायला व गैरसायलान संख्या 10 व 11 को असीम क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं होगी। गैरसायलान संख्या 01 से 07 को उक्त आराजी का अन्य हस्तानान्तरण का पंजीयन करने से रोका जावे व उक्त कृषि आराजी में राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः-

01) प्रथम दृष्ट्या मामला :- पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीया द्वारा वादग्रस्त आराजी में उसके फौत हो चुके पति जेठाराम एवं ससुर भंवरूराम की पैतृक भूमि होनें से जन्म से हक अधिकार निहित होनें के आधार पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु वाद न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया जो जैरकार है। प्रार्थीया सरजू स्वर्गीय जेठाराम की पत्नी है तथा स्वर्गीय भंवरूराम की पुत्रवधु है। भंवरूराम, बंशीराम, केसाराम, हरिराम, गणपत एवं मूलाराम फौत हो चुके मिसरू राम के वारिसान है। मूल वाद के अनुतोष पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीया के फौत हो चुके पति जेठाराम एवं ससुर भंवरलाल का वादग्रस्त आराजी पैतृक पुश्तैनी आराजी होनें से जन्म से हक अधिकार निहित होता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत वंशावली का भी कोई विरोध नहीं किया गया। अतः हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में भली भांति स्थापित होता है।

(02) सुविधा का संतुलन :- प्रथम दृष्ट्यां मामला प्रार्थीया के पक्ष में स्थापित हो चुका है, अतः पैतृक आराजी के सम्बन्ध में प्रत्येक वारिसान के पक्ष में उसके हक हिस्से तक सुविधा का संतुलन निहित माना जाता है। पूर्व विवेचित बिन्दू के अनुसार वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीया के पति एवं ससुर की पैतृक भूमि होनें से जन्म से हक अधिकार निहित होने के आधार पर प्रार्थीया का वादग्रस्त आराजी चूंकि वर्तमान में प्रार्थीया वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त काबिज है, इसलिये सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में उसके हक हिस्से तक की आराजी में साबित होता है। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थीया के पक्ष में स्थापित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.26 17:34:38 IST
Reason: SelfAttested

(03) अपूरणीय क्षति :- प्रथम दृष्ट्यां मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में स्थापित हो चुके है, वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख में वर्तमान में

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)

अप्रार्थीगण के नाम अभिलिखित है तथा प्रार्थीया द्वारा फौत हो चुके अपने पति व ससुर का वादग्रस्त आराजी में जन्म से हक अधिकार निहित होनें से अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु दावा प्रस्तुत किया है। अतः वाद के निस्तारण तक यदि अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी के रहन बैचान हस्तांतरण को निषिद्ध करनें हेतु प्रार्थीया के पक्ष में यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो प्रकरण में अनावश्यक जटिलता उत्पन्न होनें एवं अपूरणीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थीया के पक्ष में ही साबित होता है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर अंततः हमारा यह स्पष्ट एवं विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति तीनों बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष में अपने हक-हिस्से तक साबित होता है, अतः हम हस्तगत प्रकरण में ताफैसला वाद अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन नहीं करनें, तथा रहन बैचान व हस्तान्तरण नहीं करनें हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं उचित समझते है।

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली-भाँति साबित होनें व सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता कि वह ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा टूंकड़ा पटवार हल्का भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र-रास (हाल भू.नि. क्षेत्र-बलाडा) के खसरा नम्बर 278 रकबा 05-09 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 509/216 रकबा 06-15 बिस्वाा किस्म बारानी दोयम, कुल रकबा 12-04 बीघा व खसरा नम्बर 509/216 रकबा 02-15 बीघा किस्म बारानी दोयम के भू अभिलेख की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन नहीं करें तथा रहन बैचान व हस्तान्तरण नहीं करें। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenyer
Date: 2021.10.26 17:34:38 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को खुले इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
(जिला-पाली (राज0)